<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा</u>

राज्य बनाम शमशाद

वाद सं0– 950 / 2017
मु0अ0सं0–532 / 2016
धारा–420,504,506 भा0दं0सं0
थाना–ठाकुरद्वारा

<u>03.10.2018</u>

अभियुक्त शमशाद की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0– 950 / 2017 मु0अ0सं0–532 / 2016 धारा–420,504,506 भा0दं0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या व पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी की ओर से भी प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है अब कोई विवाद शेष नहीं है। अभियुक्त को जमानत देने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में जब कि वादनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त की जमानत का विरोध नहीं किया गया है और पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थतियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शमशाद द्वारा पच्चीस–पच्चीस हजार रू0 के दो–दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।